डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 196/2023

---

1. जगतरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. बलकरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. सोहन सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. चन्द सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद सुरघुरी तहसील जैतो मण्डी जिला फरीदकोट।
3. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद सुरघुरी तहसील जैतो मण्डी जिला फरीदकोट।
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :- 5.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 128/8 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 5.426 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 134/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण के

लगातार--2

पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 5.085 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.779 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. तथा प्रतिवादी सं. 1 को 3.306 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X..... निल .....X..... मुब्लिक .....X..........निल .....X..... बाबत् ....X........ निल....X........ खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 5.6.2021..... को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
प्रशासन गांवों के संग अभियान.....
शिविर प्रभारी (SDO)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
शिविर स्थल.....
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 196/2023

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. जगतरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. बलकरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. सोहन सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. चन्द सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद सुरघुरी तहसील जैतो मण्डी जिला फरीदकोट।
3. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद सुरघुरी तहसील जैतो मण्डी जिला फरीदकोट।
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 5-6-2024

वादी जगतरण सिंह ने प्रतिवादीगण सोहन सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता, प्रतिवादी सं. 2 वादीगण का चाचा, प्रतिवादी सं. 3 वादीगण का चचेरा भाई है जो एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 128/8 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 5.426 है. कृषि भूमि, चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 134/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 5.085 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसके अलावा पंजाब राज्य के

5/6/23

लगातार--2

जिला फरीदकोट की तहसील जैतो के ग्राम सुरघुरी की खतौनी सं. 282, 283 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तथा खतौनी सं. 285 में वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 3 के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है तथा वादीगण के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त कृषि भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पंजाब राज्य के जिला फरीदकोट की तहसील जैतो के ग्राम सुरघुरी में प्राप्त कर ली है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 का अब तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 128/8 व 134/50 की कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) **वादीगण जगतरण सिंह एवं बलकरण सिंह पुत्रगण श्री सोहन सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-**

तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 128/8 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 5.426 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 134/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.779 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 सोहन सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-**

तहसील संगरिया के चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 134/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.306 है. कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया

गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को प्रश्नगत् कृषि भुमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 128/8 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 134/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 एवं पंजाब राज्य के जिला फरीदकोट की तहसील जैतो के ग्राम सुरघुरी की खतौनी सं. 282, 283 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 4 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 128/8 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 5.426 है. कृषि भूमि, चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 134/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 5.085 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसके अलावा पंजाब राज्य के जिला फरीदकोट की तहसील जैतो के ग्राम सुरघुरी की खतौनी सं. 282, 283 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तथा

लगातार--4

5/6/13

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल टांबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खतौनी सं. 285 में वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 3 के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 128/8 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 5.426 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 2 डी.एन.जी. के खाता सं. 134/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 5.085 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.779 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. तथा प्रतिवादी सं. 1 को 3.306 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5.6.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर स्थल ....

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official